

—: कार्यालय कलेक्टर, जिला—बेमेतरा (छ.ग.) :—

॥ आदेश ॥

क्रमांक / ८४९ / वि.लि.प्र. / 2017

बेमेतरा, दिनांक ०१ / ०२ / 2017

छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के आदेश क्रमांक/एफ २-३८/सात २/२०१६ रायपुर दिनांक ०८.०९.२०१६ निर्देश के तहत जिला प्रशासन में रिक्त स्टेनो टाईपिस्ट के पद पर निम्नांकित अभ्यर्थीयों को वेतनमान ५२००—२०२० ग्रेड वेतन १९०० एवं शासन द्वारा समय—समय पर देय मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से ०२ वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से अधिरोपित शर्तों के अधीन नियुक्ति किया जाता है।

क्र.	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम	पत्र व्यवहार का पता	जाति प्रवर्ग	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना	चयनियत प्रवर्ग
१	२	३	४	५	६
01.	कुमारी भारती राजपूत पि. हेमंत कुमार राजपूत	ग्राम/पोस्ट ऑफिस सुखली तहसील लोरमी जिला मुंगेली	सामान्य	कार्यालय कलेक्टर, बेमेतरा	अनारक्षित (मुक्त)
02	श्री कामता प्रसाद पियुष पिता खोमलाल	ग्राम परसाडीह जे, पो.आ. अकोली, ब्लाक डॉडीलोहारा जिला बालोद	अ.ज.जा.	कार्यालय कलेक्टर, बेमेतरा	अनारक्षित (मुक्त)
03	कुमारी दिव्या मानस/ शत्रुहन प्रसाद मानस	ग्राम गुनरबोड पो.आ. चोरभट्टी तहसील/जिला – बेमेतरा	अ.पि.वर्ग	कार्यालय तहसील साजा	अनारक्षित (मुक्त)
04	श्री जितेन्द्र सिंह/ श्याम लाल राजपूत	ग्राम बिचारपुर, पो.आ. सुकली तह. लोरमी, जिला मुंगेली	सामान्य	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, नवागढ़	अनारक्षित (मुक्त)
05	श्री विरेन्द्र कुमार पैकरा पिता वालुराम पैकरा	ग्राम बम्हनी पो.आ. हटौद बाजार, तह. कसडोल जिला बलौदाबाजार	अ.ज.जा.	कार्यालय तहसील, नवागढ़	अ.ज.जा. (मुक्त)
06	श्रीमती वन्दना वर्मा पिता मोती लाल वर्मा	पुलिस वालफेयर सेक्टर पुलिस लाईन, रायपुर	सामान्य (महिला)	कार्यालय तहसील बेरला	अनारक्षित (महिला)
07	श्री आषीश कुमार जयसवाल पिता अनिल कुमार जयसवाल	ग्राम/पो.आ. पंडरी, तहसील वाड्रफनगर, जिला बलरामपुर	अ.पि.वर्ग	कार्यालय तहसील बेमेतरा	अ.पि.वर्ग (मुक्त)

नियुक्ति की शर्ते निम्नानुसार होगी :—

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अन्तिम (Provisonal) है। निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक अर्हता, चरित्र सत्यापन, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्ययीन है।
2. अभ्यर्थी का सक्षम अधिकारी से चरित्र सत्यापन कराया जायेगा। चरित्र सत्यापन में विपरित टीप होने पर नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से ही निरस्त माना जावेगा।
3. पदभार ग्रहण करते समय समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी सत्यापित प्रति प्रथम नियुक्ति पदस्थापना कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रस्तुत प्रमाण पत्र जांच/सत्यापन में गलत पाये जाने पर नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से निरस्त माना जावेगा।
4. नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय जिला मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से समाप्त मानी जावेगी।
5. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन एवं भत्तों जमा कराकर सेवा से त्याग पत्र दिया जा सकेगा।

R.SL-2017

